संख्या एफ.2/4/2018-एसईजेड
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(एसईजेड अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : 84वीं बैठक के आस्थगित मामलों पर चर्चा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन के बोर्ड की अनुवर्ती बैठक के संबंध में।

आस्थगित मामलों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर, 2018 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड की अनुवर्ती बैठक का कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

हस्ता/-
(सेंथिल नाथन एस)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर : 2306 3268
Email: senthil.nathan@gov.in

सेवा में,

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सदस्य (सीमा शुल्क), राजस्व विभाग, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली (फैक्स : 23092628)
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सदस्य (आईटी), राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (टेलीफैक्स : 23092107)
3. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली (फैक्स : 23344462/23366797)
4. संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. संयुक्त सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली
6. संयुक्त सचिव (ई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, पादप संरक्षण, कृषि भवन, नई दिल्ली
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक 'जी' और प्रमुख (टीडीटी), प्रौद्योगिकी भवन, महरौली रोड, नई दिल्ली (टेलीफैक्स : 26862512)
9. संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 7वीं मंजिल, ब्लॉक 2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

10. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग), कमरा नंबर 701, निर्माण भवन, नई दिल्ली (फैक्स : 23062315)
11. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली (फैक्स : 24363101)
12. संयुक्त सचिव (आईएस-I), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (फैक्स : 23092569)
13. संयुक्त सचिव (सीएंडडब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय, फैक्स : 23015444, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 (फैक्स : 24363577)
15. संयुक्त सचिव एवं विधायी वकील, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (टेलीफोन नंबर : 23387095)
16. संयुक्त सचिव (न्याय-I), विधि विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली (दूरभाष : 2338 3037)
17. सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
18. संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली (फैक्स : 24674140)
19. मुख्य नियोजक, शहरी कार्य विभाग, टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइज़ेशन, विकास भवन (ई-ब्लॉक), जे पी एस्टेट, नई दिल्ली (फैक्स : 23073678/23379197)
20. महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
21. महानिदेशक, ईओयू / एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8जी, 8वीं मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110 001 (फैक्स : 223329770)
22. डॉ. रूपा चंदा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर, बन्नेरघट्टा रोड, बैंगलोर, कर्नाटक
23. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
24. विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम
25. विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता
26. विकास आयुक्त, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई
27. विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई
28. विकास आयुक्त, विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापट्टनम
29. विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन
30. विकास आयुक्त, इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर
31. विकास आयुक्त, मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र, चौथी मंजिल, सी विंग, पोर्ट यूजर्स बिल्डिंग, मुंद्रा (कच्छ) गुजरात
32. विकास आयुक्त, दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, फादिया चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात
33. विकास आयुक्त, नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईईपीजेड सर्विस सेंटर, सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
34. विकास आयुक्त, स्टर्लिंग विशेष आर्थिक क्षेत्र, सैंडेसरा एस्टेट, अत्तलाद्र पादरा रोड, वडोदरा - 390012
35. विकास आयुक्त, आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग भवन, 9वीं मंजिल, सिरिपुरम, विशाखापत्तनम - 3
36. विकास आयुक्त, रिलायंस जामनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जामनगर, गुजरात
37. विकास आयुक्त, सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूरत, गुजरात

38. विकास आयुक्त, मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र, नागपुर, महाराष्ट्र
39. विकास आयुक्त, श्रीसिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश
40. विकास आयुक्त, मंगलौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, मंगलौर
41. आंध्र प्रदेश सरकार, प्रधान सचिव एवं सीआईपी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद - 500022 (फैक्स : 040-23452895)
42. तेलंगाना सरकार, विशेष मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, तेलंगाना सचिवालय, खैरताबाद, हैदराबाद, तेलंगाना
43. कर्नाटक सरकार, प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, विकास सौधा, बैंगलोर - 560001 (फैक्स : 080-22259870)
44. महाराष्ट्र सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), ऊर्जा एवं श्रम विभाग, मुंबई - 400 032
45. गुजरात सरकार, प्रधान सचिव, उद्योग एवं खान विभाग, सरदार पटेल भवन, ब्लॉक नंबर 5, तीसरी मंजिल, गांधीनगर - 382010 (फैक्स : 079-23250844)
46. पश्चिम बंगाल सरकार, प्रधान सचिव, (वाणिज्य एवं उद्योग), आईपी शाखा (चौथी मंजिल), एसईजेड अनुभाग, 4, अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कैमक स्ट्रीट) कोलकाता - 700 016
47. तमिलनाडु सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई - 600 009 (फैक्स : 044-25370822)
48. केरल सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), राजकीय सचिवालय, त्रिवेंद्रम - 695001 (फैक्स : 0471-2333017)
49. हरियाणा सरकार, वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ (फैक्स : 0172-2740526)
50. राजस्थान सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), सचिवालय परिसर, भगवान दास रोड, जयपुर - 302005 (0141-2227788)
51. उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ - 226001 (फैक्स : 0522-2238255)
52. पंजाब सरकार, प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017
53. पुदुचेरी सरकार, सचिव, उद्योग विभाग, मुख्य सचिवालय, पुदुचेरी
54. ओडिशा सरकार, प्रधान सचिव (उद्योग), ओडिशा सचिवालय, भुवनेश्वर - 751001 (फैक्स : 0671-536819/2406299).
55. मध्य प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग), वल्लभ भवन, भोपाल (फैक्स : 0755-2559974)
56. उत्तराखंड सरकार, प्रधान सचिव, (उद्योग), नंबर 4, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून, उत्तराखंड
57. झारखंड सरकार (सचिव), उद्योग विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची - 834002
58. संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली, सचिव (उद्योग), उद्योग विभाग, सचिवालय, मोती दमन - 396220 (फैक्स : 0260-2230775)
59. नागालैंड सरकार, प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, कोहिमा, नागालैंड
60. छत्तीसगढ़ सरकार, आयुक्त-सह-सचिव, उद्योग, उद्योग निदेशालय, एलआईसी भवन परिसर, द्वितीय तल, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ (फैक्स : 0771 -2583651)

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव के पीपीएस / ओएस (एसएनएस) के पीए

12 सितंबर, 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक के 14 आस्थगित मामलों पर विचार करने के लिए 5 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अनुवर्तन बैठक का कार्यवृत्त

एजेंडा की मद संख्या 84.7 (vii) : एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रैप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो कंडाला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला 2017 के एससीए नंबर 19048 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 08 मई, 2018 के निर्णय के परिणामस्वरूप पुनर्विचार के लिए आया था।

बोर्ड ने नोट किया कि 1995-98 के दौरान ईपीजेड में प्लास्टिक कचरे और स्क्रैप की अनेक रीसाइक्लिंग इकाइयां स्थापित की गई थीं। एसईजेड नियमावली, 2006 के निर्माण के समय, इन इकाइयों के पिछले प्रदर्शन से यह देखा गया कि वे पर्यावरण के मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और उनमें कोई निर्यात क्षमता नहीं है। एसईजेड में इन इकाइयों की निरंतरता के मुद्दे पर 1998 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में निर्यात संवर्धन बोर्ड द्वारा भी विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि ईपीजेड में प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप रीसाइक्लिंग की कोई भी नई इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तदनुसार, एसईजेड नियमावली, 2006 की शुरुआत से पहले जो प्लास्टिक स्क्रैप रीसाइक्लिंग इकाइयां मौजूद थीं, केवल उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई और यह निर्णय लिया गया था कि एसईजेड में प्लास्टिक कचरे और स्क्रैप रीसाइक्लिंग की किकसी नई इकाई को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप रीसाइक्लिंग की इन इकाइयों को धीरे-धीरे बंद करना था जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा, खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सरहदपारीय आवाजाही) नियमावली, 2016 के अनुसार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ठोस प्लास्टिक कचरे यानी कच्चे माल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसईजेड में होने के कारण इन इकाइयों को छूट दी गई है। तथापि, इन इकाइयों के व्यसाय मॉडल का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बोर्ड ने नोट किया कि इन इकाइयों के संचालन के पिछले रुझान से संकेत मिलता है कि उन्होंने सकारात्मक एनएफई दिखाने के लिए काफी हद तक सामानों को डीटीए को क्लियर करने के लिए एसईजेड नियमावली, 2006 के प्रावधानों का उपयोग किया, जो वास्तविक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड नीति के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, यूनिट ने निर्यात के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों का पिछले कुछ वर्षों में पालन नहीं किया है। इस प्रकार ये इकाइयाँ ओटीए में निषिद्ध गतिविधि को अंजाम देती हैं, और निर्यात के लिए पर्याप्त सांठगांठ के बिना एसईजेड में कार्य करती हैं, जो एसईजेड का सर्वोपरि तर्क है।

बोर्ड ने नोट किया कि पर्यावरण के हित में ऐसी इकाइयों को धीरे-धीरे बंद करने की समग्र नीति पर विचार करते हुए, उपरोक्त वास्तविकता और नीति के उद्देश्यों के विपरीत उन निर्णयों की कोई और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जो पहले संदर्भित मामलों पर लिए गए हैं।

अगर एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए इस मामले के नवीकरण पर विचार किया जाता है, तो यह भविष्य में ऐसे मामलों के लिए फिर से मिसाल बन जाएगा और परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को धीरे-धीरे बंद करने का बड़ा नीतिगत उद्देश्य अप्राप्य बना रहेगा। उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, बोर्ड वर्तमान नवीकरण के लिए प्रस्ताव के पक्ष में विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था। यूनिट 7 साल से बंद पड़ी है, और सुविधा का संतुलन उस स्थिति को बनाए रखने में निहित है।

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लास्टिक कचरे और स्क्रैप के पुनर्चक्रण के विस्तार के लिए एलओए के नवीकरण के लिए मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को स्वीकार न करने का फैसला किया।

मद संख्या 84.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

मद संख्या 84.8 (i) : विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 13 तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत 45.21 लाख रुपए (45.21 करोड़ रुपए का धनात्मक एनएफई प्राप्त न करने का 1 प्रतिशत) का अर्थ दंड लगाने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 के बीच मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है की अपील दिनांक 18 मई 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी। नोट किया गया था कि 45.21 लाख रुपये यानी गैर प्राप्त एनएफई का 1 प्रतिशत जुर्माना लगाने के संबंध में यूएसी के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के खिलाफ अपील डीजीएफटी के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है और अनुमोदन बोर्ड ऐसी अपील के लिए सही मंच नहीं है। हालांकि, अपीलकर्ता ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि इकाई के खिलाफ एनएफई की कार्यवाही पर फैसला हो गया है और अंतिम आदेश 13 अप्रैल, 2018 को पारित किया गया है। यूनिट द्वारा 20 अप्रैल, 2018 को 45.21 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान कर दिया गया।

बोर्ड ने फैसला किया कि मामले को अंतिम रूप मिल गया है और अनुमोदन बोर्ड द्वारा किसी और विचार की आवश्यकता नहीं है।

मद संख्या 84.8 (ii) : यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आदेश दिनांक 2 मार्च 2012 के माध्यम से निरस्त किए गए एलओए की अवधि बढ़ाने / पुन: वैध करने की प्रार्थना के साथ कोस्टल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री बृजेश कुमार ठाकुर की अपील दिनांक 28 जून 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी। नोट किया गया कि एलओए रद्द करने के लिए यूएसी के आदेश दिनांक 02 मार्च, 2012 के खिलाफ अपील का समय बीत गया है। अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि इकाई द्वारा दंड के भुगतान के परिणामस्वरूप अनुमोदन बोर्ड द्वारा इकाई के विस्तार के लिए मामले पर विचार किया जा सकता है और अपील दायर करने में देरी के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया गया है।

बोर्ड ने डीसी, एफएसईजेड को निर्देश दिया कि वे इकाई को अपनी संशोधित व्यावसायिक योजना देने के लिए कहें और तदनुसार, वह फाइल पर इस विभाग के विचारार्थ उसे अग्रेषित कर सकते हैं। जहां तक अपील दायर करने में देरी का संबंध है, माननीय सीआईएम से छूट मांगी जा सकती है।

मद संख्या 84.8 (iii) : गाला नंबर 102 एवं 104, एसडीएफ VIII, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 01 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स फ्लालेस ज्वैल्स की अपील

मद संख्या 84.8 (iv) : गाला नंबर 301, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 01 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स मलहार ज्वैल्स की अपील

मद संख्या 84.8 (v) : गाला नंबर 401, 402, 403 एवं 404, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 01 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स प्योर गोल्ड ज्वैलर्स एंड डयमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मद संख्या 84.8 (vi) : गाला नंबर 202 एवं 204, एसडीएफ VIII, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 01 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स विजय एक्सपोर्ट्स की अपील

मद संख्या 84.8 (vii) : गाला नंबर 02, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए निर्णय के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2018 के कार्यवृत्त तथा विवादित आदेश दिनांक 01 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स लिमिटेड ज्वैलरी की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने इन यूनिटों के प्रतिनिधियों की बात सुनी। इस मामले पर विचार किया गया और यह देखा गया कि :

(i) अनंतिम आवंटन की शर्तों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अंतिम आवंटन और कब्जे यूएसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर और एमआईडीसी से बीसीसी / ओसी प्राप्त होने पर प्रदान किए जाएंगे। चूंकि व्यवहार्यता रिपोर्ट में इमारत को रत्न एवं आभूषण की इकाइयों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए अनंतिम एलओए रद्द कर दिए गए।

(ii) यह कि सीआरए (सीमा शुल्क रसीद लेखा परीक्षा) ने अपनी लेखा परीक्षा में यह दावा किया था कि यूएसी ने पहले दिनांक 11 जुलाई, 2017 को सभी अनिवार्य मानदंडों की गहराई से जांच नहीं की थी और जल्दबाजी में अनंतिम एलओए जारी कर दिया था।

(iii) जहां तक शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिटें स्थित करने के लिए निर्मित और बाद में किसी संरचनात्मक परिवर्तन के बिना रत्न एवं आभूषण की इकाइयों को आवंटित एसईईपीजेड टॉवर 1 और 2 के आवंटन का संबंध है, उन एसडीएफ भवनों का निर्माण एमआईडीसी द्वारा आरसीसी संरचना पर किया गया था और इसलिए रत्न एवं आभूषण की इकाइयों के लिए

उपयुक्त पाए गए थे। हालाँकि, एसडीएफ VIII बिल्डिंग के लिए निर्मित प्री-फैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग डिज़ाइन रत्न एवं आभूषण की इकाइयों के लिए नहीं है।

बोर्ड का यह विचार था कि एसईजेड इकाइयों की परिकल्पना उनके कार्य को पूरी कार्यक्षमता के साथ करने के लिए की गई है। भवन की संरचना के प्रतिबंधों के कारण इकाइयों की आंशिक कार्यक्षमता की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपीलों को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 84.8 (xi) : पेट बाटल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई, 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स गुरुजी इंटरनेशनल जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 22 जून, 2018

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया क्योंकि दो अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

मद संख्या 84.8 (xii) : (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दा (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशेंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्तर एवं फ्रैगरेंस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार के अरेका नट के निर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 14 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स एमआरए फ्रैगरेंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 16 जुलाई 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी। नोट किया गया कि इकाई ने सत्यापन प्रक्रिया के भाग के रूप में वित्तीय स्थिति, आवासीय / आधिकारिक पते आदि के बारे में भ्रामक जानकारी दी। इसके अलावा, यह देखा गया कि इकाई असमान उत्पादों का ब्राडबैंडिंग करने का इरादा रखती है जो वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 84.8 (xiii) : रामानुजन आईटी सिटी कैंपस में विज्ञापन की गतिविधियों को अनुमत करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश दिनांक 28 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड की अपील दिनांक 3 अगस्त 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी। नोट किया गया कि अपील यूएसी के आदेश के खिलाफ नहीं है। तथापि, इकाई ने एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9 (2) (बी) और (जी) के संदर्भ में विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश दिनांक 28 जून, 2018 के खिलाफ बोर्ड से संपर्क किया है।

अपीलकर्ता की बात सुनने के बाद, बोर्ड ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि डेवलपर द्वारा प्रस्तावित गतिविधि वर्तमान एसईजेड अधिनियम / नियमावली के दायरे में नहीं आती है। हालांकि, बोर्ड द्वारा यह वांछित था कि डेवलपर के लिए अधिकृत प्रचालन के रूप में ऐसी गतिविधियों के समावेशन की जांच करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया जाए।

मद संख्या 84.8 (xiv) : ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2018 के विरुद्ध मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड की अपील दिनांक 2 अगस्त 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा मामले पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड के समक्ष यह लाया गया कि इकाई का एलओए 13 सितंबर, 2018 को समाप्त हो गया था और डीजीएफटी की हाल ही की अधिसूचना संख्या 25 दिनांक 07 अगस्त, 2018 जिसने आयात के लिए 'पेट्रोलियम कोक' को 'निषिद्ध मद' बना दिया है, को देखते हुए एलओए के आगे विस्तार का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग को भेजा गया था।

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हो, तो डीजीएफटी के परामर्श से मामले पर फाइल पर विचार किया जा सकता है।

मद संख्या 84.13 : विविध मामले (1 प्रस्ताव)

मद संख्या 84.13 (i) : मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

बोर्ड ने 04 अप्रैल, 2018 को आयोजित 82वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डीसी द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट पर ध्यान दिया और निर्णय लिया कि एलओए की बहाली के लिए इकाई के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मद संख्या 84.14 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

मद संख्या 84.14 (i) : 79,241 वर्गफीट के अनुमोदित अतिरिक्त क्षेत्रफल में से 9500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कैफेटीरिया के लिए आवेदन दिनांक 26 जून 2018 **को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2018 के विरुद्ध मैसर्स असेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील दिनांक 22 अगस्त 2018**

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने संबंधित विभागों अर्थात अग्नि, स्वास्थ्य, आदि से सभी आवश्यक अनुमोदन और यूएसी की पूर्व स्वीकृति के अधीन अपील को बरकरार रखा।